संख्या- 5/2016/वे0आ0-2-04 /सी0एम0/दस-2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2016**

विषय- प्रदेश के राजकीय विभागों तथा विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का यथावश्यकता अधिसंख्य पदों का सृजन करते हुए विनियमितीकरण किया जाय।

2- यह संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त निर्णय का कार्यान्वयन अभी नहीं किया जा सका है, जिसके फलस्वरूप उनके विभाग में तैनात उक्त श्रेणी के कार्मिकों को शासन के उक्त निर्णय का लाभ प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है।

3- उक्त के सम्बन्ध में आपसे यह पुनः अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि शासनादेश दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा संसूचित निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही (यदि अभी तक नहीं की गयी है) प्राथमिकता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या- 5/2016/वे0आ0-2-04 /सी0एम0(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।